झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, जगन्नाथपुर, सेक्टर - 3,
धुर्वा, राँची - 834004
दूरभाष - 0651-2444502 फैक्स: 0651-2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

पत्रांक: JEPC/RTE/47/10/2017-18/.......... दिनांक: ...../02/2022

प्रेषक,
किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

सेवा में,
सभी. उपायुक्त,
झारखण्ड

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी.) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नामांकन के संबंध में ।

महाशया/महाशय,

आप अवगत हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी.) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में विद्यालय की नामांकन क्षमता के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाना है ।

वैसे बच्चे जो विद्यालय के 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अधीन निवास करते हों, का नामांकन किया जाना है । यदि इस दूरी सीमा में प्रर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो 3 से 6 कि.मी. की दूरी सीमा में निवास करने वाले बच्चों का नामांकन लिया जा सकता है ।

कमजोर वर्ग के अंतर्गत जिनकी सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय रु. 72,000/- से कम हो, का नामांकन किया जाना है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यो के साथ एक बैठक आयोजित कर उनके विद्यालय की प्रवेश कक्षा में नामांकन क्षमता के आलोक में 25 प्रतिशत की संख्या निर्धारित कर दी जाय ।

निर्धारित संख्या के साथ विद्यालयवार सूची का प्रकाशन/व्यापक प्रचार-प्रसार आम लोगों के सूचनार्थ निम्न प्रपत्र के अनुसार किया जा सकता है ताकि लोग अपने बच्चों का नामांकन उक्त विद्यालयों में करा सकें:-

क्र.	विद्यालय का नाम, पता	विद्यालय की प्रवेश कक्षा, जिसपर नामांकन लिया जायेगा	प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता	कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत संख्या

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त विद्यालयों में नामांकन के लिए यथाशीघ्र सूचना जारी की जाय ताकि ससमय संबंधित बच्चों का नामांकन उक्त विद्यालयों में हो सके ।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, धुर्वा, रांची
दूरभाष - 0651-2444502
ई-मेल: jepcranchi@gmail

An ISO 9001:2015 certified

उक्त बच्चों के लिए फीस की राशि रु. 5100/- प्रति वर्ष/प्रति बच्चा की दर से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 आपके सहज अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः JEPC/RTE/47/10/2017-18/395 राँची, दिनांकः 23/02/2022

प्रतिलिपिः

1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ ।
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक